

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 482]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 27 नवम्बर 2015—अग्रहायण 6, शक 1937

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 27 नवम्बर 2015

क्र. एफ 3-14-2010-एक-10.—मध्यप्रदेश लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त अधिनियम, 1981 (क्रमांक 37 सन् 1981) की धारा 13-क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, लोकायुक्त की अनुशंसा पर, एतद्द्वारा श्री एस. सी. दुबे (सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश) को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से दिनांक 17 मार्च 2018 तक की अवधि के लिये संभागीय सतर्कता समिति इन्दौर संभाग इन्दौर में सदस्य के पद पर नियुक्त करती है.

No. F. 3-14-2010-I-10.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 13-A of the Madhya Pradesh Lokayukta Evam Up-Lokayukta Adhinyam, 1981 (No. 37 of 1981), the State Government, on the recommendation of the Lokayukta, hereby appoint Shri S. C. Dubey (Rtd. Distt. & Sessions Judge) as Member in the Divisional Vigilance Committee, Indore Division Indore up to 17th March 2018 from the date of joining.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. कातिया, अपर सचिव.